

## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

गिरजेश कुमारी राठौर, व्याख्याता (हिन्दी) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोपालमील, कोटा के द्वारा राजस्थान सेवा नियम-08 में अभिलिखित प्रावधानानुसार निर्धारित कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् प्रस्तुत अभिलेखों (राज-पत्र, समाचार पत्र व शपथ पत्र) के आधार पर अपना परिवर्तित नाम गिरजेश राठौर रखा है।

गिरजेश कुमारी राठौर, व्याख्याता (हिन्दी) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोपालमील, कोटा के राजकीय सेवा अभिलेखों में अंकित नाम गिरजेश कुमारी राठौर के स्थान पर गिरजेश राठौर करने की विभागीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भविष्य में गिरजेश कुमारी राठौर, व्याख्याता (हिन्दी) से संबंधित राजकीय आदेश/कार्यों में परिवर्तित नाम गिरजेश राठौर से सम्बोधित/जारी किये जावें।


(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर



क्रमांक-शिविरा/माध्य/संस्था/सी-7/हिन्दी/उपनाम परिवर्तन/2020/ दिनांक- 20/09/21  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :- 496

1-संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) कोटा संभाग, कोटा

2-मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, कोटा शहर, कोटा

3-सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने बाबत।

4-अनुभाग अधिकारी, एसीआर/संस्थापन ए-बी/वरिष्ठता अनुभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है (गिरजेश कुमारी राठौर, व्या.-हिन्दी, जन्मतिथि-17.02.1973, वरिष्ठता क्रमांक-1464/2000-01, डीपीसी-2016-17)

5-प्रधानाचार्य, राउमावि, गोपालमील, कोटा

6-गिरजेश राठौर, व्या. (हिन्दी), राउमावि, गोपालमील, कोटा

7-रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

### कार्यालय आदेश

श्रीमती संगीता व्याख्याता (राजनीति विज्ञान), महात्मा गांधी राजकीय विधालय घरडाना खुर्द, बुहाना, झुंझुनूं के द्वारा राजस्थान सेवा नियम 8A में अभिलिखित प्रावधानानुसार एवं वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक - F.1(3)FD(Rules)/2017 दिनांक 15.02.2018 में जारी निर्देशानुसार निर्धारित कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर अपना परिवर्तित नाम संगीता डांगी रखा है।

श्रीमती संगीता व्याख्याता (राजनीति विज्ञान), महात्मा गांधी राजकीय विधालय घरडाना खुर्द, बुहाना, झुंझुनूं के राजकीय सेवा सम्बन्धित अभिलेखों में इनका नाम संगीता के स्थान पर संगीता डांगी करने की विभागीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भविष्य में श्रीमती संगीता प्राध्यापक राजनीति विज्ञान से सम्बन्धित राजकीय आदेश/कार्यों में परिवर्तित नाम संगीता डांगी से सम्बोधित/जारी किये जावें।



(सौरभ स्वामी)

IAS

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/मा/संस्था-6/रावि/नाम परिवर्तन/2018/314 दिनांक : 20/09/2021  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
3. सहायक निदेशक वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/ओएसी प्रभाग कार्यालय हाजा।
4. अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर अनुभाग विभागीय वैबसाईट पर अपलोड हेतु।
5. संबंधित संस्था प्रधान.....।
6. संबंधित कार्मिक.....।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

### कार्यालय आदेश

श्री मदन लाल देवासी व्याख्याता (राजनीति विज्ञान), राउमावि सिलारी, पीपाड़ शहर जोधपुर के द्वारा राजस्थान सेवा नियम BA में अभिलिखित प्रावधानानुसार एवं वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक - F.1(3)FD(Rules)/2017 दिनांक 15.02.2018 में जारी निर्देशानुसार निर्धारित कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर अपना परिवर्तित नाम मदन लाल रखा है।

श्री मदन लाल देवासी व्याख्याता (राजनीति विज्ञान), राउमावि सिलारी, पीपाड़ शहर जोधपुर के राजकीय सेवा सम्बन्धित अभिलेखों में इनका नाम श्री मदन लाल देवासी के स्थान पर श्री मदन लाल करने की विभागीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भविष्य में श्री मदन लाल देवासी प्राध्यापक राजनीति विज्ञान से सम्बन्धित राजकीय आदेश/कार्यों में परिवर्तित नाम मदन लाल से सम्बोधित/जारी किये जावें।



(सौरभ स्वामी)

IAS

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/मा/संस्था-6/रावि/नाम परिवर्तन/2018/310  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक : -20/09/2021

1. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
3. सहायक निदेशक वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/ओएसी प्रभाग कार्यालय हाजा।
4. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
5. संबंधित संस्था प्रधान.....।
6. संबंधित कार्मिक.....।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

### कार्यालय आदेश

मीरा बाई व्याख्याता (राजनीति विज्ञान), बाबा सरदाराराम रा.उ.मा.वि. शाहपुर डहरा, उमरेण, अलवर के द्वारा राजस्थान सेवा नियम 8A में अभिलिखित प्रावधानानुसार एवं वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक – F.1(3)FD(Rules)/2017 दिनांक 15.02.2018 में जारी निर्देशानुसार निर्धारित कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर अपना परिवर्तित नाम मीरा गुप्ता रखा है।

श्रीमती मीरा बाई व्याख्याता (राजनीति विज्ञान), बाबा सरदाराराम रा.उ.मा.वि. शाहपुर डहरा, उमरेण, अलवर के राजकीय सेवा सम्बन्धित अभिलेखों में इनका नाम मीरा बाई के स्थान पर मीरा गुप्ता करने की विभागीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भविष्य में श्रीमती मीरा बाई प्राध्यापक राजनीति विज्ञान से सम्बन्धित राजकीय आदेश/कार्यों में परिवर्तित नाम मीरा गुप्ता से सम्बोधित/जारी किये जावें।



(सौरभ स्वामी)  
IAS  
निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/मा/संस्था-6/रावि/नाम परिवर्तन/2018/311  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक : 20/09/2021

1. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
3. सहायक निदेशक वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/ओएसी प्रमाण कार्यालय हाजा।
4. अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर अनुभाग विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
5. संबंधित संस्था प्रधान.....।
6. संबंधित कार्मिक.....।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर कार्यालय आदेश

श्रीमती संतोष कुमारी व्याख्याता (राजनीति विज्ञान), रा.श्री गांधी किसान उमावि जयरामपुरा, खण्डेला, सीकर के द्वारा राजस्थान सेवा नियम 8A में अभिलिखित प्रावधानानुसार एवं वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक - F.1(3)FD(Rules)/2017 दिनांक 15.02.2018 में जारी निर्देशानुसार निर्धारित कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर अपना परिवर्तित नाम संतोष जाखड़ रखा है।

श्रीमती संतोष कुमारी व्याख्याता (राजनीति विज्ञान), रा.श्री गांधी किसान उमावि जयरामपुरा, खण्डेला, सीकर के राजकीय सेवा सम्बन्धित अभिलेखों में इनका नाम संतोष कुमारी के स्थान पर संतोष जाखड़ करने की विभागीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भविष्य में श्रीमती संतोष कुमारी प्राध्यापक राजनीति विज्ञान से सम्बन्धित राजकीय आदेश/कार्यों में परिवर्तित नाम संतोष जाखड़ से सम्बोधित/जारी किये जावें।



(सौरभ स्वामी)

IAS

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/मा/संस्था-6/रावि/नाम परिवर्तन/2018/312 दिनांक : -20/09/2021  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
3. सहायक निदेशक वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/ओएसी प्रमाण कार्यालय हाजा।
4. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग विभागीय वैबसाईट पर अपलोड हेतु।
5. संबंधित संस्था प्रधान.....।
6. संबंधित कार्मिक.....।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर



## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

### कार्यालय आदेश

श्रीमती सुनीता कुमारी व्याख्याता (राजनीति विज्ञान), राउमावि नागलकलां, गोविन्दगढ़, जयपुर के द्वारा राजस्थान सेवा नियम 8A में अभिलिखित प्रावधानानुसार एवं वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक - F.1(3)FD(Rules)/2017 दिनांक 15.02.2018 में जारी निर्देशानुसार निर्धारित कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर अपना परिवर्तित नाम सुनीता रहेजा रखा है।

श्रीमती सुनीता कुमारी व्याख्याता (राजनीति विज्ञान), राउमावि नागलकलां, गोविन्दगढ़, जयपुर के राजकीय सेवा सम्बन्धित अभिलेखों में इनका नाम सुनीता कुमारी के स्थान पर सुनीता रहेजा करने की विभागीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भविष्य में श्रीमती सुनीता कुमारी प्राध्यापक राजनीति विज्ञान से सम्बन्धित राजकीय आदेश/कार्यों में परिवर्तित नाम सुनीता रहेजा से सम्बोधित/जारी किये जावें।



(सौरभ स्वामी)

IAS

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक:- शिविस/मा/संस्था-8/रावि/नाम परिवर्तन/2018/313  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक : 20/09/2021

1. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
3. सहायक निदेशक बरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/ओएसी प्रभाग कार्यालय हाजा।
4. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
5. संबंधित संस्था प्रधान.....।
6. संबंधित कार्मिक.....।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर